संख्या-35/2015/557/41-2015-18 यो0/14

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2015

विषय- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वाराणसी में विश्वनाथ मन्दिर एवं प्रमुख घाटों के सुन्दरीकरण की योजना की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-2066/6-1-1(वारा.घाट.)/2015, दिनांक 27-02-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वाराणसी में सिवश्वनाथ मन्दिर एवं प्रमुख घाटों के सौन्दर्यीकरण हेतु कार्यदायी संस्था नगर निगम वाराणसी तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-1777.34 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार से अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-5.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 72/1304/41-2014-18 यो0/14 दिनांक 14.10.2014 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वाराणसी में विश्वनाथ मन्दिर एवं प्रमुख घाटों के सौन्दर्यीकरण हेतु डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजना पर्यटन स्थलों के विकास मद में प्राविधानित धनराशि रू0 3000.00 लाख में से रू0 355.04 लाख की वित्तीय स्वीक़ृति महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं -

1. भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र सं0- 5 पीएनसी (74)/2013, दिनांक 04-03-2014 के द्वारा उक्त योजना अनुमोदित की है। उक्त स्वीकृत पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

7. परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

8. योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक-26 अगस्त, 2014 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-35/557(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली।

3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी, वाराणसी।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7

8- सी0एण्ड डी0एस0 , वाराणसी।

9- नगर निगम, वाराणसी एवं यू0पी0 पावर करापोरेशन, वाराणसी।

10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।

11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in